समाहरणालय भोजपुर, आरा (जिला भू–अजन शाखा)

(1)

भोजपुर जिला में विद्युत पर्यवेक्षक एवं तारकर्मियों (वायरमैन) की मौखिक परीक्षा एवं व्यवहारिक जाँच एवं विद्युत ठीकेदारों को लाइसेंस देने हेतु आवश्यक सूचना

उर्जा विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं0–276/स0को0 दि0 08.07.13 के आलोक में भोजपुर जिला में प्रतिम विद्युत पर्यवेक्षक एवं तारकर्मियों (वायरमैन) की छमता प्रमाण पत्र एवं परमिट हेतु मौखिक परीक्षा आयोजित कराने का निर्ण लिया गया है। अतः इस संबंध में विधुत पर्यवेक्षक की छमता प्रमाण पत्र एवं तारकर्मियों (वायरमैन) की परमिट हेतु मौखि परीक्षा एवं व्यवहारिक जाँच में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रि किये जाते हैं तथा माह के अंतिम शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में 11:30 बजे पूर्वाहन से मौखिक परीक्षा एवं व्यवहारि जाँच आयोजित की जायेगी। विद्युत ठीकेदारों के लाइसेंस हेतु हर माह के तीसरे मंगलवार को विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रि किए जाते हैं तथा माह के अंतिम शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में 11:30 बजे पूछताछ व अन्य जाँच आयोजित 1 जायेगी। उक्त तिथि को अवकाश पडने की स्थिति में आवेदन पत्र में मौखिक जाँच परीक्षा/व्यवहारिक जाँच अगले कार्य दिव को होगी। जो अभ्यार्थी उक्त मौखिक परीक्षा एवं व्यवहारिक जाँच में शामिल होना चाहतें हैं, वे अपना आवेदन पत्र (विहित प्र में) सचिव – सह– सदस्य, विद्युत लाईसेसिंग बोर्ड, जिला भू–अर्जन कार्यालय, भोजपुर समाहरणालय के कार्यालय में निर्धारि तिथि तक जमा कर सकतें हैं।

निर्धारित तिथि को मौखिक परीक्षा/व्यवहारिक जाँच में अनुपस्थित पाये जानेवाले अभ्यार्थियों को पुनः शामिल होने मौका नहीं दिया जायेगा।

मौखिक परीक्षा/व्यवहारिक जाँच में शामिल होने के लिये अलग से किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जायेगी।

पर्यवेक्षक के परीक्षा में प्रवेश तथा तारकर्मी (वायरमैन) परमिट हेतु मौखिक परीक्षा और व्यवहारिक जाँच के लि निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर आवेदन पत्र के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।

परमिट प्राप्त करने हेतु फीसः–

क) पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र के लिये – 100/– (एक सौ) रूपये।
ख) तारकर्मी (वायरमैन) कर्मी के लिये – 25/–(पच्चीस) रूपये।
ग) ठीकेदारों के लाइसेंस के लिए – 250/– (दो सौ पच्चास) रूपये।

परीक्षा शुल्क की राशि चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 'जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, विद्युत लाईसेसिंग बोर्ड भोजपुर नाम से होना चाहिए।

विद्युत ठीकेदारों के लाइसेंस हेतु शर्तेः–

1) विद्युत ठीकेदार को लाईसेंस हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन फीस के साथ देना होगा। ठीकेदार दो परमिटधारी तारमिस्त्र तथा एक प्रमाण पत्रधारी प्र्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा। उसे संबंधित जिला के सचिव, लाईसेसिंग बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो शपथ–पत्र भरना होगा।

2) ठीकेदार अनुज्ञा–पत्र किसी फर्म अथवा किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर लिया जा सकेगा। व्यक्ति विशेष किसी फर्म आवेदक के नाम पर अनुज्ञा–पत्र लेते हैं तो उन्हें पासपोर्ट साईज अथवा स्टाम्प साईज के तीन रंगीन फोटो विहित प्रपत्र साथ राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित कर दिया जाना होगा। इसके साथ उनके पहचान हेतु दो संभ्रान्त व्यक्ति का परिचय भी देना होगा।

3) आवश्यक उपकरणों में एक अर्थ टेस्टर एवं इंसुलेशन मेगर का रखना एवं सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत व अनिवार्य होगा।

पर्यवेक्षक के परीक्षा में प्रवेश की शर्तें :–

1) विद्युत अभियंत्रण के उम्मीदवारों को कार्यानुभव की आवश्यकता नहीं होगी।
2) विद्युत डिप्लोमाधारी को कम से कम दो वर्षो का विधुत कार्य में कार्यानुभव आवश्यक होगा।
3) दो वर्षीय इलेक्ट्रिशियन/वायरमैन ट्रेड (ITI) में उत्तीर्ण होने के बाद 4 (चार) वर्षो का विद्युत संयंत्रों का रख रखाव अधिष्ठापन में व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होगा।
4) मैट्रीक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उन्हे 06 (छः) वर्षो का विद्युत संयंत्रों के रख रखाव, अधिष्ठापन का होना आवश्यक होगा।

विहित प्रपत्र में उम्मीदवारों को आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना होगाः–

क) सचरित्रता प्रमाण पत्र किसी उत्तरदायी व्यक्ति को जो पाँच वर्षो से जानता हो।
ख) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति।
ग) अनुभव प्रमाण पत्र।
घ) दी गई फीस का प्रमाण पत्र।
ड) अभिप्रमाणित फोटो की तीन प्रतियाँ (रंगीन पासपोर्ट/स्टाम्प साईज) संलग्नक के रूप में देना आवश्यक होगा।
च) आवासीय प्रमाण पत्र।

तारकर्मी (वायरमैन) परमिट हेतु मौखिक परीक्षा और व्यवहारिक जॉच के लिये साक्षरता की शर्तें एवं कागजातः–

1) तारमिस्त्री हेतु आवेदक को विधुत संबंधी कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होगा।

विहित प्रपत्र में उम्मीदवारों को आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना होगाः–

क) सचरित्रता प्रमाण पत्र किसी उत्तरदायी व्यक्ति को जो पाँच वर्षो से जानता हो।
ख) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति।

ग) अनुभव प्रमाण पत्र।
घ) दी गई फीस का प्रमाण पत्र।
ड़) अभिप्रमाणित फोटों की तीन प्रतियॉं (रंगीन पासपोर्ट/स्टाम्प साईज) संलग्नक के रूप में देना आवश्यक होगा।
च) आवासीय प्रमाण पत्र।

उक्त मौखिक परीक्षा एवं व्यवहारिक जॉच में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र में) www.bhojpur.bih.nic.in पर डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है अथवा जिला भू –अर्जन शाखा, भोजपुर समाहरणालय से प्राप्त कर सकते है।

सक्षमता प्रमाण पत्र एवं परमिट हेतु प्राप्त वैसे आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र में) जिसमें त्रुटिपूर्ण अधूरी सूचना अथवा सूचना अंकित रहने एवं वांछित कागजात संलग्न नहीं पाये जाने पर जॉचोपरान्त अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा जमा की गयी फीस किसी भी हालत में लौटायी नहीं जायेगी।

आवेदन फॉर्म

कमांक :–...............................

"फारम क/ख"

(क) क्षमता प्रमाण पत्र
(ख) तारकर्मी अनुमति पत्र के लिए होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आवेद पत्र

यह आवेदन पत्र उम्मीदवार को स्वयं भरना चाहिए। उत्तर साफ–साफ शब्दों में लिखना चाहिए न कि सिर्फ बिन्दु, लकीर आदि चिन्ह देकर या अनुलग्न कागज का संकेत मात्र करके। यदि किसी प्रश्न के उत्तर के लिए फारम में काफी जगह न हो तो, उम्मीदवार उस उत्तर का ब्यौरा अगल कागज पर दे सकते है मगर उस पर उचित रूप से हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर (काउन्टर सिगनेचर) रहे। आवेदन पत्र का सभी स्तम्भ (कॉलम) ठीक–ठीक भरा होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतिहस्ताक्षर नियोजक का होना अनिवार्य है। यदि आवेदन पत्र देते समय आवेदक कहीं नौकरी में नहीं हो, तो प्रतिहस्ताक्षर किसी राजपत्रित पदाधिकारी का होना चाहिए।

1 उम्मीदवार का नाम :–...............................
2. हाल का पता :–...............................
....
....

3. पिता का नाम :–...............................
4 इस राज्य के मूलवासी है या आदिवासी–...............................
5 उम्मीदवार का पता :–...............................
....
....

6. जन्म की तारीख :–...............................

7. शिक्षा संबंधी योग्यता (मैट्रिकुलेशन का समकक्ष परीक्षा से आरम्भ करके) :–

परीक्षा	विद्यालय वो अन्य परीक्षाग्राही संख्या	श्रेणी (क्लास या डिवीजन)	वर्ष

8. अनुभव का ब्यौरा :–

नियोजक (एम्पलायर) का नाम और पूरा पता	पदनाम (ओहदा)	अवधि		वेतन	विशेष
		कब से	कब तक		
	–				

9. यदि उम्मीदवार की प्रमाण पत्र या अनुमति पत्र मिला हो तो निम्नलिखित विवरण लिखे :–

प्रमाण पत्र या अनुमति पत्र देने वाले अधिकारी का नाम	क्षमता प्रमाण पत्र या अनुमति पत्र	संख्या	तारीख	अंकित विषय

(3)

12

10. उम्मीदवार किन–किन खंडों (पार्टी) में परीक्षा देना चाहता है।

11. यदि उम्मीदवार पहले भी इन परीक्षा में बैठा हो या आवेदन पत्र दिया हो, तो निम्नलिखित विवरण देना अति अनिवार्य है। यदि उम्मीदवार को छिपाने की कोशिश की गई, जो आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा तथा परीक्षा शूल्क भी जप्त कर लिया जायेगा।

क्रमांक	आवेदन पत्र देने की तिथि	परीक्षा (मौखिक या लिखित)	परीक्षा की तिथि	प्रवेशांक (रोल नं०) और/या परीक्षाग्राही संख्या	परिणाम

12. किस केन्द्र से उम्मीदवार परीक्षा देना चाहता है ....

13. परीक्षा शुल्क (फीस) फार्म 'क' 100/फार्म 'ख' 25 रूपये जमा किया गया है।

खजाना या बैंक का नाम	रकम	चालान या चेक या सरकारी भुगतान	तारीख

14. अनुलग्न कागजों की सूची :–

(1) ड्रॉफ्ट या मनिऑर्डर से (रसीद) मूल प्रति जैसा मद 13 में वर्णित है। परीक्षा शुल्क जिलाधिकारी –सह–अध्यक्ष, विद्युत लाईसेंसिंग बोर्ड, भोजपुर के नाम से होगा।

(2) 2 इंच x 2. 1/2 इंच के आकार के फोटोग्रॉफी की तीन प्रतियॉं जिनका पीठ पर प्रतिहस्ताक्षर (काउन्टर सिगनेचर) के साथ उम्मीदवार का हस्ताक्षर हो।

(3) उम्मीदवार को नजदीक से जानने वाले किसी जिम्मेवार व्यक्ति का लिखा चरित्र प्रमाण पत्र। यहॉं उस व्यक्ति का नाम, पता और पदनाम (ओहदा) या पेशा लिखें।

(4) शिक्षा संबंधी योग्यताओं के प्रमाण पत्र –

(क)

(ख)

(5) अनुभवन के प्रशंसा पत्र (टेस्डीमोनियल) –

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ जहॉं तक मेरा ज्ञान और विश्वास है ऊपर दिये गये ब्यौरे सही और सच है।

प्रतिहस्ताक्षर ....
तारीख ....
नाम ....
पदनाम और पता ....
....
....

उम्मीदवार का पूरा हस्ताक्षर
तारीख ....

भारतीय विद्युत नियम 1950 के अधिनियम 45 के अन्तर्गत विद्युत ठीकेदार अनुज्ञा पत्र स्वीकार करने की सरकारी शर्त 43 के अनुसार आवेदन पत्र

(1) संस्थान का नाम और पता –

(2) संस्थान के मालिक का साझेदार का नाम तथा पता –

(3) संस्थान द्वारा भूत और वर्त्तमान काल में किए गए कार्यों का विवरण –

(4) अनुज्ञा पत्र शुल्क 250/– (दो सौ पचास) रूपये जैसे जमा हुआ उसका विवरण –

(5) अगर पहले अनुज्ञा पत्र के लिए कोई आवेदन रद्द किया गया था तो उसका पूर्ण विवरण –

कम से कम इस राज्य द्वारा एक विद्युत क्षमता पक्ष प्राप्त पर्यवेक्षक और दो तारकर्मी अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति का नाम और संख्या होना अनिवार्य है।

(1) विद्युत पर्यवेक्षक का नाम तथा उनका क्षमता प्रमाण पत्र संख्या।

(2) तारकर्मी अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तियों के नाम –

(क) ....

(ख) ....

(3) इन्सुलेसन मेगर की संख्या तथा निर्माणकर्ता का पूर्ण ब्यौरा –

(4) अर्थ टेस्टर की संख्या तथा निर्माणकर्त्ता का पूर्ण ब्यौरा –

(4)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि जहाँ तक मेरा ज्ञान और विश्वास है, उपर दिये गये व्यौरे सही और सच है।

गवाह का हस्ताक्षर

पता ....

....

....

आवेदक का हस्ताक्षर

गवाह के स्थान पर केवल राजपत्रित पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।